संख्या-572/2017/1850/22-2-2016-17(165)/2007

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र श्री रघुवीर निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र श्री रघुवीर, निवासी-मौ0 कमलिया कस्बा, थाना-मीरापुर, जनपद- मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। दोनों पक्षों के मध्य चल रहे जमीनी विवाद के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.12.1992 को सायं लगभग 05.00 बजे बैलगाडी से गन्ना लेकर घर लौट रहे अन्तराम, जगवीर, कल्लू एवं ओमवीर की रायफल एवं पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी एवं 01 को गम्भीर रूप से घायल किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-191/1995 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 04.03.1998 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.1998 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.01.2016 तक 20 वर्ष 05 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 04 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल एवं पिस्तौल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने एवं 01 को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा किये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र श्री रघुवीर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राकेश (बन्दी संख्या-9124) पुत्र श्री रघुवीर निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-572/2017/1850(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-572/2017/1850/22-2-2016-17(165)/2007

दिनांक 18 जुलाई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र श्री रघुवीर, निवासी-मौ0 कमलिया कस्बा, थाना-मीरापुर, जनपद- मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। दोनों पक्षों के मध्य चल रहे जमीनी विवाद के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.12.1992 को सायं लगभग 05:00 बजे बैलगाडी से गन्ना लेकर घर लौट रहे अन्तराम, जगवीर, कल्लू एवं ओमवीर की रायफल एवं पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी एवं 01 को गम्भीर रूप से घायल किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-191/1995 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 04.03.1998 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.1998 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.01.2016 तक 20 वर्ष 05 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 04 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल एवं पिस्तौल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने एवं 01 को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अतः बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र श्री रघुवीर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in